

[1]

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 108/2025
(जीसीएमएस संख्या 2025/196)

निर्णय दिनांक: 10-12-25

1. मकखनलाल पुत्र नौरंगलाल जाति नाई निवासी चक नम्बर 2 डी छोटी तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर

-अपीलांट

-बनाम-

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

-रेसपोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 30-05-1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर




संस्थिति:-

1. श्री गिरधारीलाल रामावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 30-05-1998 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन हेतु चक 1 एम.जी.डब्ल्यू.एम. के मुरब्बा 98/37 की 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये गये


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

थे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र सद्भाविक कृषक होने के सबूत पेश नहीं करने के आधार पर अपीलांट के आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सबूतों की अनदेखी करते हुए मात्र अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने के उद्देश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अपीलांट के प्रार्थना पर पत्रावली दिनांक 30-04-1998 को पेश हुई। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में लिखा गया कि, पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष बाद में कैम्प पूगल में प्रस्तुत हो। परन्तु पत्रावली में कोई दिनांक नियम नहीं की गई। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट द्वारा सद्भाविक कृषक होने का सबूत पेश नहीं किया गया इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। यदि अपीलांट उक्त आवेदित रकबे में वरियता में भूमि आवंटित नहीं करवा सका है तो विशेष आवंटन के नियमों के तहत अपीलांट आज भी भूमि पाने का अधिकारी है क्योंकि अपीलांट का पेशा खेती का है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। आरआरटी 2014-15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जो प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया था उसकी प्रमाणित प्रति पेश की गई है जिसमें तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से उक्त प्रार्थना पत्र की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कथन किया गया है। तथा पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी मखनलाल पुत्र नौरंगलाल का पेशा कृषि होने का कथन किया गया है। इस आधार पर प्रार्थी/अपीलांट सद्भाविक कृषक है।



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंदिता नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियांद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते हैं। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियांद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोंडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियांद की बजाय गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 1 एम.जी.डब्ल्यू.एम. के मुरब्बा 98/37 की 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवांटे में आवंटन करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



[4]


न्यायालय द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अपीलांट का सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र नही होने के आधार पर खारिज किया गया है।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट का सद्भाविक कृषक होने का सबूत संलग्न है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के सद्भाविक कृषक होते हुए भी अपीलांट का आवेदन अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया और अपीलांट को इस संबंध में कोई सूचना नही दी गई। अपीलांट को बिना सुने अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया। अपीलांट को प्रकरण में तारीख पेशी नही बताई केवल मात्र आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि पत्रावली बाद में पेश हो तथा सीधे पत्रावली दिनांक 30-05-1998 को तारीख पेशी में लेकर अपीलांट का आवेदन खारिज किया गया है।



अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील के साथ भी पुनः सद्भाविक कृषक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। इस सूरत में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नही आता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए व सबूतों की जाँच करते हुए यदि गजट में अनावेदित रकबा, अराजीराज रकबा उपलब्ध हो तो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों व अद्यतन परिपत्रों के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
8. निर्णय आज दिनांक 10-12-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्थान राज्य न्यायालय
अपील अधिकारी
बीकानेर